

राज्य उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
 लोक अदालत / कैम कोर्ट / कैम

-: आदेश :-

Reliance की रिपोर्ट व भू.अ.नि. कायदा 1956 के अधिनियम 136 के अनुसूचा में शेखावाटी की अनुसूचा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसूचा में राजस्थान शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सवर्त 2074-77 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड के आदेश दिये जाते हैं:-

ग्राम	खता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1700	48021	खान 5720	खान 5715
21518	49930	खान 5721	खान 5716

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
 लोक अदालत
 पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

लोक अदालत
 पीठासीन अधिकारी

राजस्थान शेखावाटी की अनुसूचा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसूचा में राजस्थान शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सवर्त 2074-77 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड के आदेश दिये जाते हैं:-

खान 5720

खान 5721

21/5/18